राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 7(3) परि/रूल्स/एच क्यू/2005/IV/ जयपुर, दिनांक : 31.08.2015

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65, 96, 111 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (तृतीय प्रारूप संशोधन) नियम, 2015 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 01.07.2015 को प्रकाशित किया गया था।

अधिप्रमाणित
(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 07.07.2015 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावो पर विचार किया गया।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65, 96, 111 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अधिप्रमाणित

2. **नियम 1.2 का संशोधन.**– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1.2 के उप–नियम (1) में,

(i) विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) "राज्य परिवहन प्राधिकरण का सचिव" से राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव के कृत्यो और दायित्वों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त,

परिवहन विभाग के मुख्यालय पर पदस्थापित, कोई अतिरिक्त परिवहन आयुक्त अभिप्रेत है,"

(ii) विद्यमान खण्ड (प) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(प) "उप नगरीय मार्ग" से कोई ऐसा मार्ग अभिप्रेत है, जो किसी शहर या नगर से प्रारंभ होता है और राज्य सरकार द्वारा लोकहित में उप–नगरीय मार्ग के रूप में घोषित किया गया है।"

3. **नियम 4.18 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 4.18 में, विद्यमान उप–नियम (1) के पश्चात् और विद्यमान उप–नियम (2) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप–नियम (1क) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1क) उप–नियम (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, परिवहन आयुक्त किसी यान या यानों के वर्ग को किसी प्राधिकारी, व्यक्ति या अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से धारा 56 के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने हेतु निदेशित कर सकेगा।"

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

4 **नियम 5.19 (क) का संशोधन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5.19 (क) को "5.19" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

5. **नियम 5.19 का संशोधन.**– उक्त नियमों के इस प्रकार पुनः संख्यांकित नियम 5.19 में,

"(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोडे जायेंगे, अर्थात् :

(v) कि परमिट अधिनियम और तद्धीन बने नियमों में यथा अधिकथित उपबंधों/शर्तों के अध्यधीन होंगे और राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा समय–समय पर अधिकथित शर्तों/निदेशों के अध्यधीन भी होंगे। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट स्कीमों के निबंधन और शर्तें, विशिष्ट स्कीम के अधीन मंजूर किये गये परमिट के लिए अतिरिक्त शर्तें होंगी।

अधिप्रमाणित

(vi) जब यान सड़क पर हो, तब ड्राइवर और कण्डक्टर से भिन्न परमिट धारक का कोई व्यक्ति और कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति बस की सीढियों पर नहीं होंगे या यान के दरवाजे से बाहर अपना हाथ नहीं निकालेंगे,

(vii) अभिनियोजित किये जाने वाले ड्राइवर और कण्डक्टर, उच्च नैतिक चरित्र वाले होंगे और सवारियों के प्रति नम्र और शिष्ट बने रहेंगे,

(viii) मंजिली गाडियों में अभिनियोजित किये जाने वाले ड्राइवर/कण्डक्टर से परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जा सकेगी;

(ix) ड्राइवर/कण्डक्टर, राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को पूर्व सूचना के बिना, नियुक्त या परिवर्तित नहीं किये जायेंगे;

(x) यात्रियों से किराया राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रभारित किया जायेगा और संदत्त किराये के लिए यात्रियों को टिकट जारी किये जायेंगे। इस प्रकार जारी किये गये टिकटों पर बस नंबर, मार्ग, यात्रियों से वास्तविक रूप से प्रभारित किया गया किराया और यात्रियों के चढ़ने का स्थान और गंतव्य स्थान अंकित होगा। तथापि, यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी यान, मंजिली गाड़ियों के यानों के वर्ग से अपेक्षा की जाती है तो, टिकट ई–टिकटिंग के माध्यम से जारी किये जायेंगे;

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

(xi) बस की रजिस्ट्रीकृत बैठने और खड़े रहने की क्षमता से अधिक यात्री नहीं ले जाये जायेंगे;

(xii) किसी भी अवस्था में प्रत्येक यात्री 15 किलोग्राम से अधिक सामान और व्यक्तिगत चीजबस्त मुफ्त में बस में नहीं ले जा सकेगा;

(xiii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बस पर माल इस प्रकृति का हो और इस प्रकार पैक और सुरक्षित किया गया हो जिससे यात्रियों को संकट, असुविधा या परेशानी कारित न हो;

(xiv) मंजिली गाडी परमिट वाली बसें राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जायेंगी;

अधिप्रमाणित

(xv) प्रचालक के कर्मचारियों के फायदे के लिए श्रम विधियों और अन्य अधिनियमितियों के अधीन समस्त कानूनी दायित्वों का परमिटधारक द्वारा निष्ठा से पालन किया जायेगा;

(xvi) यह कि कर्मीदल (ड्राइवर और कण्डक्टर), जहां कहीं लागू हो, निःशक्त व्यक्तियों की बस में चढ़ने में और उतरने में हरसंभव सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि ड्राइवर या कण्डक्टर निर्दिष्ट बस स्टाप पर किसी निःशक्त व्यक्ति को चढ़ने के लिए बस को रोकने में असफल रहता है या बस में चढ़ने में निःशक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता करने से इंकार करता है/असफल रहता है तो वे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के

अधीन कार्रवाई के लिए दायी होंगे और उनका परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा;

(xvii) परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) को ऐसे यानों में, ऐसी तारीख से और ऐसी रीति में स्थापित किया जायेगा जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। सविदा गाड़ी के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार स्थापित जी पी एस सदैव चालू हालत में रखा गया है।

(xviii) यदि किसी भी बस में किसी महिला के विरूद्ध अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या छेड़खानी इत्यादि की कोई घटना, जो कि उसकी लज्जा भंग करने के समान हो, घटित होती है तो बस के कर्मीदल (जैसे ड्राइवर और कण्डक्टर) का यह कर्तव्य होगा कि तुरन्त पुलिस को इसकी सूचना दे और बस को निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी/पी सी आर वैन के पास ले जाये और अपराधी को पुलिस को सौंप दे ;

(xix) यान में पर्दे या फिल्म लगे हुए कांच नहीं लगाये जायेंगे। विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये विंडस्क्रीन, पिछली खिड़की और बगल की खिड़की के रंगदार कांचों की दशा में, वे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 के उप–नियम (2) और रिट याचिका (सिविल) सं. 265/2011, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन यथा विहित स्थिति में संधारित किये जायेंगे;

(xx) यान में पर्याप्त आन्तरिक सफेद रोशनी होगी। यान के भीतर के क्रियाकलाप, जब भी यान दिन या रात्रि के दौरान सड़क पर चल रहा हो, बाहर की तरफ से दृश्यमान होने चाहिएं;

(xxi) ड्राइवर और कण्डक्टर के ब्यौरे (जैसे नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक, बैच संख्यांक) और यान के स्वामी के दूरभाष/मोबाइल नम्बर, परिवहन और पुलिस हैल्पलाईन नम्बर और यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यान के भीतर सहजदृश्य स्थान पर भिन्न रंग में प्रदर्शित होंगे, जिससे ये यान के सभी यात्रियों को स्पष्टतः दृश्यमान हों;

(xxii) समस्त यान जो ड्यूटी पर नहीं हैं स्वामियों के पास पार्क किये जायेंगे ड्राइवरों या अन्य स्टाफ के सदस्यों के पास नहीं; और

(xxiii) परमिटधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यान मे कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, अगले द्वार की ओर कण्डक्टर की तरफ दो सीटें वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हों। इस प्रकार

अधिप्रमाणित

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

आरक्षित सीटें तदनुसार चिन्हित भी की जायेगी। यान का कण्डक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि इन सीटों का अधिभोग उपर्युक्त कथित आरक्षित यात्रियों द्वारा किया जा रहा है।"

(ii) उप–नियम (2) में, विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात् –

"(iv) यह कि परमिट अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों में यथा अधिकथित उपबंधों/शर्तों के अध्यधीन होंगे और राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा समय–समय पर अधिकथित शर्तों/निदेशों के भी अध्यधीन होंगे। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट स्कीमों के निबन्धन और शर्तें, विशिष्ट स्कीम के अधीन मंजूर किये गये परमिट के लिए अतिरिक्त शर्तें होंगी;

(v) यह कि कर्मीदल (ड्राइवर और कण्डक्टर), जहां कहीं लागू हों निःशक्त व्यक्तियों की बस में चढ़ने में और उतरने में हरसंभव सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि ड्राइवर या कण्डक्टर निर्दिष्ट बस स्टाप पर किसी निःशक्त व्यक्ति को चढ़ने के लिए बस को रोकने में असफल रहता है या बस में चढ़ने में निःशक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता करने से इंकार करता है/असफल रहता है तो वे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होंगे और उनका परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा,

(vi) यदि किसी भी बस में किसी महिला के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या छेड़खानी इत्यादि की कोई घटना, जो कि उसकी लज्जा भंग करने के समान हो, घटित होती है तो बस के कर्मीदल (जैसे ड्राइवर और कण्डक्टर) का यह कर्तव्य होगा कि तुरन्त पुलिस को इसकी सूचना दे और बस को निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी/पी सी आर वैन के पास ले जाये और अपराधी को पुलिस को सौंप दे;

(vii) परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) को ऐसे यानों में, ऐसी तारीख से और ऐसी रीति में स्थापित किया जायेगा जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। सविदा गाड़ी के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार स्थापित जी पी एस सदैव चालू हालत में रखा गया है;

(viii) यान में पर्दे या फिल्म लगे हुए कांच नहीं लगाये जायेंगे। विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये विंडस्क्रीन, पिछली खिड़की

अधिप्रमाणित

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

और बगल की खिड़की के रंगदार काचों की दशा में, वे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 के उप-नियम (2) और रिट याचिका (सिविल) सं. 265/2011, दिनाक 27 अप्रैल, 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन यथा विहित स्थिति में संधारित किये जायेंगे;

(ix) यान में पर्याप्त आन्तरिक सफेद रोशनी होगी। यान के भीतर के क्रियाकलाप, जब कभी यान दिन या रात्रि के दौरान सडक पर चल रहा हो, बाहर की तरफ से दृश्यमान होने चाहिए;

(x) ड्राइवर और कण्डक्टर के ब्यौरे (जैसे नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक, बैच संख्यांक) और यान के स्वामी के दूरभाष/मोबाइल नम्बर, परिवहन और पुलिस हैल्पलाईन नम्बर और यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यान के भीतर सहजदृश्य स्थान पर भिन्न रंग में प्रदर्शित होंगे, जिससे ये यान के सभी यात्रियों को स्पष्टतः दृश्यमान हों; और

(xi) समस्त यान जो ड्यूटी पर नहीं है स्वामियों के पास पार्क किये जायेंगे ड्राइवरों या अन्य स्टाफ के सदस्यों के पास नहीं।"

6. नियम 7.14 क का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 7.14क के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

अधिप्रमाणित

"(1) स्लीपर कोच से दो टियर वाला या तो शयन या शयन और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिजायन किया गया या संनिर्मित कोई मोटर यान अभिप्रेत है जिसमें उपरी टियर पर आवश्यक रूप से बर्थ की व्यवस्था होगी जो 1x1 या 2x1 बर्थ होगी। निचले टियर में निम्नलिखित में से कोई व्यवस्था होगी :–

(i) चैसिस के साथ–साथ 1x1 या 2x1 की बर्थ व्यवस्था;

(ii) चैसिस में आड़ी 2x2 या 1x1 की बैठक व्यवस्था;

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए कोई अन्य व्यवस्था।"

7. नियम 7.14ख का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 7.14ख हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा ओरोडा)
संयुक्त शासन सचिव

अधिप्रमाणित

(हंस कुमार शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)